एक नजर में

दुर्घटना ने तबाह कर दी युवक की जिंदगी

गुना। जिले के इमझरा निवासी युवक राजा अहिरवार एंबुलेंस से हुई दुर्घटना में घायल हो गया था। राजा अहिरवार एक गांव में मजदूरी करने के लिए गया था। जहां वह दुर्घटना में हुआ। उसके बाद उसे उच्च उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया था। लेकिन भोपाल पहुंचने से राजा को ले जा रही एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में राजा हमेशा के लिए विकलांग हो गया है। राजा का उपचार कराने के दौरान उसके परिवार ने अपनी रिहायशी कच्चा मकान भी बेच दिया। परिवार अब बेघर हो गया है। राजा अहिरवार बुधवार को अपनी पत्नि कल्लो बाई और दो छोटे-छोटे बच्चों को लेकर गुना कलेक्ट्रेट पहुंचा और आर्थिक मदद मांगी है। उसकी पत्नि ने बताया कि राजा अब दिव्यांग हो चुका है, चिकित्सकों ने कह दिया है कि वह जीवनभर के लिए चल नहीं सकता है। लिहाजा परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि आर्थिक मदद या स्थाई रोजगार मुहैया कराया जाए। ताकि परिवार का भरण-पोषण हो सके।

187 वाहनों पर 75 हजार का जुर्माना

गुना। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाए गए विशेष सड़क सुरक्षा एवं यातायात अनुशासन अभियान के तहत गुना पुलिस ने जिले में व्यापक स्तर पर वाहन चैकिंग की कार्रवाई की। यह अभियान पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानसिंह ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में निरंतर और प्रभावी रूप से संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत 09 दिसंबर को शाम 6.30 बजे से रात 9 बजे तक जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना बीमा, बिना नंबर प्लेट और तेज रफ़्तार से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध सख्त चालानी कार्रवाई की गई। इस संपूर्ण कार्रवाई में कुल 187 वाहनों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 75 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

बजरंगगढ़ बीसभुजा माता मंदिर प्रांगण में महापाप !

पुरुष-महिला का आपत्तिजनक अवस्था में वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, दम्पति गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

गुना 10 दिस. का। जिले के बजरंगगढ़ स्थित प्राचीन बीसभुजा देवी मंदिर परिसर में महिला-पुरुष द्वारा आपत्तिजनक हरकतें करने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसने जिलेभर के श्रद्धालुओं को विचलित और दुखी कर दिया है।

घटनाक्रम 9 दिसंबर का बताया जा रहा है। जब बीस भुजा मंदिर प्रांगण में विराजमान हनुमानजी की प्रतिमा के सामने रखी बेंच पर एक महिला और पुरुष अश्लील व आपत्तिजनक हरकते कर रहे थे। कुछ ग्रामीणों ने महिला-पुरुष के महापाप का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सवर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह तोमर को यह वीडियो दिखा गया। बताया जा रहा है कि सवर्ण आर्मी ने वीडियो पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाया। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। एसपी अंकित सोनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक टीम गठित की और मंदिर प्रांगण में अश्लील हरकतें कर रहे पुरुष-महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि शुरुआती जानकारी के आधार पर महिला-पुरुष आपस में पति-पत्नि बताए जा रहे हैं। घटनाक्रम को लेकर सवर्ण आर्मी ने नाराजगी जाहिर की है। संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल से भी मिला है। कलेक्टर ने भी इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। सवर्ण आर्मी ने मंदिर परिसर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि मंदिर में पहले भी कैमरे लगे थे, जिन्हें असामाजिक तत्व क्षतिग्रस्त कर देते हैं और दोष बंदरों के सिर मढ़ लिया जाता है।

चर्चा यह भी: तांत्रिक के कहने पर मंदिर में बनाए थे संबंध

बीसभुजा देवी मंदिर पर बनाया गया वीडियो जिलेभर में वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं, दावे और अफवाह भी सामने आ रही है। जिनकी पुष्टि करने में पुलिस जुटी हुई है। वास्तविकता जानने के लिए पुलिस द्वारा दम्पत्ति से पूछताछ की जा रही है। कुछ अपुष्ट सूत्रों का कहना है कि दम्पत्ति मंदिर परिसर में यह कृत्य संतान पाने की इच्छा से किया था। उन्हें किसी तांत्रिक ने सलाह दी है कि अगर वे देवी के मंदिर में संबंध बनाएंगे, तो संतान प्राप्त हो सकती है। दम्पत्ति द्वारा इस तरह का घिनौना कृत्य करना यह साबित करता है कि वे या मानसिक रूप से विकृत हो चुके थे या फिर लालच अथवा मानसिक तृष्णा ने उन्हें परेशान कर दिया था।

5 हजार साल पुराना है मंदिर

बीसभुजा देवी मंदिर करीब 5 हजार साल पुराना धार्मिक स्थल है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत कालीन बताया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में विराजमान मां बीसभुजा देवी के 20 हाथ वही शख्स गिन पाता है, जिसपर माता रानी प्रसन्न होती हैं। इसी मंदिर के दूसरे छोर पर हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के सामने श्रद्धालुओं के विश्राम करने रखी गई बेंच पर यह आपत्तिजनक दृश्य सामने आया है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पगारा में हुआ दो दिवसीय खेल महोत्सव

नवभारत न्यूज

गुना। उ.मा. वि. पगारा में दिनांक 9 दिसंबर और 10 दिसंबर 2025 को दो दिवसीय भव्य खेल महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शैक्षणिक तनाव से मुक्त करना और शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इन दो दिनों के दौरान विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता की। खेलों में पारंपरिक फन गेम्स जैसे बोरा रेस, चम्मच रेस और चेयर रेस शामिल थे। इसके अतिरिक्त, रस्साकसी, लगोरी और महत्वपूर्ण टीम गेम्स जैसे खो-खो, बालक-बालिकाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता भी आयोजित की गईं। खेलकूद के साथ-साथ छात्रों की बौद्धिक क्षमता को परखने के लिए एक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संस्था के प्राचार्य प्रमोद रघुवंशी और खेल शिक्षक मुकुंद शर्मा ने विशेष रूप से सहयोग किया। ब्रज मोहन शर्मा, सुभाष चंद्र त्रिवेदी, रमेश चंद्र जाटव, लालाराम जाटव, राजीव रघुवंशी, दयामनी तिग्गा, प्रीति पंत, खुशबू शर्मा, अंजुम आरा, मीना चौधरी और करण कुशवाह भी शामिल थे।

भादौर में सरकारी जमीन से हटाई गई अवैध गुमठी

गुना। भादौर में बुधवार को को राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय सड़क किनारे की भूमि से अवैध अतिक्रमण और एक गुमटी को हटा दिया। राजस्व विभाग द्वारा यह कार्रवाई विधिवत रूप से नोटिस जारी करने के बाद की गई। अवैध कब्जे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया। इस दौरान शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई में नायब तहसीलदार आरोन अमित जैन, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी सुनील किरार शामिल रहे।

एनएफएल ने किया औद्योगिक सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन

नवभारत न्यूज

गुना। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विजयपुर के सुरक्षा विभाग ने औद्योगिक सुरक्षा सप्ताह के दौरान 10 दिसंबर को नवकुंज विद्यालय, पालिका बाजार में महत्वपूर्ण सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों को विभिन्न सुरक्षा पहलुओं के प्रति सचेत करना था। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नजदीकी संयंत्र से अमोनिया गैस रिसाव होने पर बचाव हेतु सावधानियों, सड़क सुरक्षा, गृह सुरक्षा, एलपीजी सुरक्षा एवं विद्युत सुरक्षा आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री सिद्धेश्वर श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा एवं अतुल कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक प्रबंधक सुरक्षा थे, जिन्होंने उपस्थित लोगों को गहन मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर नवकुंज विद्यालय के प्रिंसीपल संजीव कुमार शर्मा और जनप्रतिनिधि महेश बैरागी पार्षद एवं मुकेश तमोली पार्षद सहित शिक्षक एस.के. सक्सेना, अर्चना जादौन और पिस्ता ओझा भी उपस्थित थे। इस सफल कार्यक्रम में लगभग 260 बच्चों, स्कूल स्टाफ एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, एनएफएल की तरफ से सभी बच्चों को पेन्सिल बॉक्स, टॉफी और लंच दिया गया। कार्यक्रम के समापन पर नवकुंज विद्यालय के प्रिंसीपल संजीव कुमार शर्मा ने एनएफएल प्रबंधन का आभार जताया।

ऐतिहासिक साबित होगी साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत

गुना। साल 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने और समझौता योग्य मामलों का अधिकतम निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुना जिले में न्याय विभाग पूरी ताकत लगा रहा है। इसी प्रयास के तहत, बुधवार को जिला न्यायालय परिसर से एक विशाल जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता को 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के बारे में जागरूक करना था।

रैली को जिले के प्रधान न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उनके साथ अपर कलेक्टर अखिलेश जैन सहित, कई न्यायिक, पुलिस, और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रैली में बड़ी संख्या में अभिभाषकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली को रवाना करने से पहले, प्रधान न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने लोक अदालत की विशेषताओं और उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वाहन रैली का मुख्य उद्देश्य आम लोगों तक लोक अदालत के आयोजन की जानकारी पहुंचाना है। मिश्रा ने प्रशासन और पुलिस विभाग को लोक अदालत के उद्देश्य को आम जनता तक पहुंचाने वाला %प्रहरी% बताया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उनके कार्यकाल में आयोजित सभी लोक अदालतों में निराकृत प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली साल की अंतिम लोक अदालत ऐतिहासिक साबित होगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आएगी, बल्कि न्याय के प्रति लोगों की आस्था में भी बढ़ोत्तरी होगी।

कार्यक्रम के दौरान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव वंदना त्रिपाठी ने भी जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से न्यायालय को फर्स्ट एड किट प्रदान की गई है।

उन्होंने साझा प्रयास से लोक अदालत को सफल बनाने की अपेक्षा जाहिर की।

बीआरसीसी राजेन्द्र चौहान ने किया मिडिल स्कूल का निरीक्षण

मधुसूदनगढ़। बीआरसीसी राघोगढ़ राजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा एकीकृत हाई स्कूल दौराना एकीकृत मिडिल स्कूल पाडरखेड़ी मां.वि. पगारा आदि शालाओं की अर्धवार्षिक परीक्षा की मोनीटरिंग के दौरान सभी स्कूलों में कक्षा 6,7,8,की परीक्षा शांतिपूर्ण नियमानुसार संचालित की गई पाडरखेड़ी में परीक्षा में सभी कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति 100 प्रतिशत पाई गई।

म्याना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर आयोजित

गुना। परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए, आज, 10 दिसंबर 2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) म्याना में महिलाओं के लिए नसबंदी शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह शिविर जनसंख्या स्थिरीकरण और मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था। शिविर में 30 महिलाओं का पंजीयन किया गया और सभी का नसबंदी ऑपरेशन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। ऑपरेशन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्जन डॉ. बी. एल. कुशवाह द्वारा निभाई गई। मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिल्पा टाटिया के निर्देशन में, डॉ. स्वाति शर्मा (एसएमओ, म्याना) ने पूरे शिविर के सफल प्रबंधन को सुनिश्चित किया। उन्होंने बैठक व्यवस्था, ऑपरेशन-पूर्व आवश्यक जांचें, परामर्श और अन्य सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का सुचारू प्रबंधन किया। शिविर के संचालन में बीपीएम आभा शर्मा, धर्मेंद्र मौर्य, मोहन सिंह, पंकज रघुवंशी, राजेश भार्गव एवं स्वास्थ्य केंद्र के अन्य स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। सभी लाभार्थी महिलाओं के साथ उनकी आशा कार्यकर्ताएं भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने पंजीयन से लेकर काउंसलिंग और सेवा प्राप्ति तक महिलाओं को निरंतर सहयोग दिया। यह शिविर क्षेत्र में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सफल कदम रहा।

गुना के विकास के लिए प्रयासरत रहूंगा, संगठन से कोई मतभेद नहीं

पूर्व सांसद डॉ. केपी यादव ने किया पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा

नवभारत न्यूज

गुना। पूर्व सांसद डॉ. केपी सिंह यादव लंबे समय बाद गुना पहुँचे और उन्होंने अपने निजी कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ शहर के मुख्य डाकघर में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी दौरा किया। डॉ. यादव ने केंद्र के सुचारू संचालन और स्टाफ के सहयोग की सराहना की।

मीडिया से बात करते हुए डॉ. यादव ने कहा, गुना मेरा घर है और मेरा यहाँ आना-जाना होता ही रहता है। हाँ, मैं कुछ दिनों से राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कभी दूर नहीं रह सकता। केपी यादव ने भाजपा संगठन और शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी भी तरह के मतभेद होने की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी उसे निभाते रहें। केपी यादव ने हाल ही में मिली चुनावी जिम्मेदारी पर बात करते हुए कहा, मुझे बिहार चुनाव में जो जिम्मेदारी मिली, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ। मैंने समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर पार्टी का प्रचार किया। यह खुशी की बात है कि पार्टी ने उन सभी 6 सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि वे पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, और पार्टी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से करते हैं। डॉ. केपी यादव ने जोर देकर कहा कि वे गुना के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में जो काम अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा कराने के प्रयास जारी हैं।

उन्होंने आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि वे जल्द ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे, और गुना के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर उनसे चर्चा करेंगे।

लापरवाही विधायक को लाभ पहुंचाने के लिए निर्माण में मनमानी का दावा

सड़क निर्माण में भेदभाव का आरोप लगाकर भड़कीं महिलाएं

नवभारत न्यूज

गुना। हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 9 में सड़क निर्माण को लेकर वार्डवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने सड़क निर्माण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है कि यदि उनके घरों के सामने जल्द सड़क नहीं डाली गई, तो वे मशीन के सामने लेटकर अपनी जान दे देंगे।

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी में नर्मदेश्वर पार्क के पास करीब 20 लाख की लागत से गलियों की सड़कें डाली जा रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जानबूझकर विधायक के आवास वाली गली को प्राथमिकता दी गई है, जबकि आम नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रहवासियों ने आरोप लगाया कि विधायक के घर के सामने तो सड़क डाल दी गई, लेकिन कई आम नागरिकों के घरों के आगे का निर्माण छोड़ दिया गया। कॉलोनी में नर्मदेश्वर पार्क के तीन कोनों पर सड़क का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन पार्क के मुख्य गेट वाली सड़क को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। वार्डवासियों का कहना है कि छोड़ी गई सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं और लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी इसी हिस्से में होती है। पार्षद प्रतिनिधि लालाराम लोधा ने सीधे तौर पर ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो सड़क बन रही है, उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। बता दें कि स्थानीय विधायक पन्नालाल का मकान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी है, हालांकि वह वर्तमान में नयापुरा स्थित अपने आवास में रहते हैं। यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्राथमिकता किसे दी जा रही है। इस मामले पर वार्ड पार्षद ने सफाई देते हुए कहा कि सड़क का निर्माण क्रमबार तरीके से किया जा रहा है और एक साथ सभी काम नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि वह स्वयं नगरपालिका अधिकारियों से लगातार यह कह रहे हैं कि जहां अधिक आवश्यकता है, वहां सड़क पहले डाली जाए।

मौके पर नहीं पहुंची सीएमओ

पार्षद प्रतिनिधि ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका की प्रभारी सीएमओ को मौके पर जानकारी देने की बात कही, लेकिन खबर लिखे जाने तक प्रभारी सीएमओ घटनास्थल पर नहीं पहुंची थीं, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। आक्रोशित वार्डवासियों ने साफ कर दिया है कि यह भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल निर्माण शुरू नहीं किया गया, तो वे सड़क निर्माण की मशीन के सामने लेटकर अपनी जान दे देंगे।

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) के अंतर्गत। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL HFL) (जिसे पहले इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना जारी की है, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से उन्हें जारी किए गए संबंधित माँग सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। उपरोक्त के संबंध में, ऋणी/ऋणकताओं को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे दर्शाई गई राशि, माँग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज सहित, चुका दें। ऋणी/ऋणकताओं का विवरण, माँग सूचना की तिथि तक देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु दी गई सुरक्षा राशि इस प्रकार है:-

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्री रामानुज विश्व, कर्म श्रीमती निर्मला विश्वकर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10187394)	04-दिसंबर-2025, रू. 141791/- (एक लाख ईकतालीस हजार सात सौ इनक्यानवे मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार है: 184, मंजिल संख्या 0, 1, 1 बीएचके ईडब्ल्यूएस ब्लॉक, पीएमएवाई के अंतर्गत सभी के लिए आवास, खसरा संख्या 19 और 457 और 458 हिनोटिया आलम गांव, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462039 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: विक्रय योग्य क्षेत्र, कालीन क्षेत्र: 377.00, 377.00
श्री राहुल कहार श्री. गणेशराम कहार श्री. कुसुम बाई कहार (प्रॉस्पेक्ट नं. 937579)	04-दिसंबर-2025, रू. 399808/- (तीन लाख निन्यानवे हजार आठ सौ आठ मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो इस प्रकार है: 95, एसआरपी ग्रीन बेक मौजा फोन 19/18 कुलहमदी रोड होशंगाबाद 461001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमिक्षेत्रफल, सुपरबिल्ट्अपक्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 625.00, 625.00
श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान श्रीमती प्रमिला बाई चौहान (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10106228)	04-दिसंबर-2025, रू. 552255/- (पांच लाख बावन हजार दो सौ पचपन मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार है: 4/17, ईडब्ल्यूएस विंग्स, कोकता ट्रांसपोर्ट नगर, तहसील हुजूर, जिला और शहर भोपाल 462001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: विक्रय योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 377.00, 377.00
श्री दीपक शर्मा श्रीमती अभिलाषा शर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10116665)	04-दिसंबर-2025, रू. 434498/- (चार लाख चौंतीस हजार चार सौ अट्ठानवे मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा: सर्वेक्षण संख्या 7/2/1, पी.एच.एन. 67, विदिशा 464001 से उत्पन्न भूमि का एक भूखंड वर्ग फुट में क्षेत्रफल: संपत्ति का प्रकार: भूमिक्षेत्र, निर्मितक्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 600
श्री आरती विष्वकर्मा श्रीमती हरिनारायण विष्वकर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10185974)	04-दिसंबर-2025, रू. 124320/- (एक लाख चौबीस हजार तीन सौ बीस मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार है: यूनिट संख्या 239, ब्लॉक संख्या 18, मंजिल संख्या 2, ईडब्ल्यूएस, प्रधानमंत्री आवास योजना - रामलीला - केवल ईडब्ल्यूएस, रामलीला विदिशा के पास, 464001। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफल: 385.00, 385.00
श्री धनीराम सेन श्रीमती क्रांति सेन (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10270937)	04-दिसंबर-2025, रू. 448157/- (चार लाख अड़तालीस हजार एक सौ सत्तावन मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा जो इस प्रकार है: विशिष्ट संख्या 174, मंजिल संख्या 0, ईडब्ल्यूएस विंग्स, ब्लॉक ए, बीएमसी कोलकाता, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462022 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: विक्रय योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल: 377.00
श्री मोहन रे श्रीमती लाडबाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10344473)	04-दिसंबर-2025, रू. 503576/- (पांच लाख तीन हजार पांच सौ छियात्तर मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार है: विशिष्ट संख्या 28, मंजिल संख्या 0, 1, 1 बीएचके ईडब्ल्यूएस ब्लॉक, पीएमएवाई परियोजना हिनोटिया आलम हाउसिंग फॉर ऑल पीएमएवाई के अंतर्गत खसरा संख्या 19, 457 और 458 हिनोटिया आलम गांव, भोपाल 462042 पर स्थित भूमि पर। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कारपेट एरिया: 377.00, 377.00
श्री शंभु कुमार सुमन श्रीमती प्रियंका कुमारी (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10601529)	04-दिसंबर-2025, रू. 4409590/- (चवालीस लाख नौ हजार पाँच सौ नब्बे मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा: खसरा संख्या 72/23, मौजा, किशनपुर, नारायणनगर, तहसील एवं जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, 461001 में स्थित एक भूखंड क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 1034
श्रीमान नीरज खरे श्रीमान सिंह जाटव श्रीमती शीला बाई जाटव अनिका कम्प्यूटर (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10617859)	04-दिसंबर-2025, रू. 324812/- (तीन लाख चौबीस हजार आठ सौ बारह मात्र)	संपत्ति का वह भाग जो इस प्रकार है: फोन नंबर 04, वार्ड नंबर 24, क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट, ग्राम गोर्द बाबा गली श्रीराम कॉलोनी, गुना, मध्य प्रदेश 473001 में स्थित है। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र। संपत्ति का क्षेत्रफल: 1200 वर्ग फुट
श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव श्रीमती पान बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10624569)	04-दिसंबर-2025, रू. 1408038/- (चौदह लाख आठ हजार अड़तीस मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा: एक भूखंड जो क्रम संख्या 217/1/3/4, ग्राम राजोदा, तहसील बसोदा, विदिशा, मध्य प्रदेश, 464221 में स्थित है। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल 640
श्री रामअवतार श्रीवास्तव श्रीमती प्राची श्रीवास्तव (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10720551)	04-दिसंबर-2025, रू. 193951/- (एक लाख तेरानवे हजार नौ सौ इक्यावन मात्र)	प्रधान मंत्री आवास योजना, कनेरा देव सागर, केडी61/302, मंजिल संख्या 0, ईडब्ल्यूएस स्लम ग्राम कनेरा देव तहसील और जिला सागर (मध्य प्रदेश) 462044, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: विक्रय योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल: 540.00, 376.00
श्री प्रेमनारायण प्रजापति श्री मोहन लाल श्रीमती गुड्डी बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10764848)	04-दिसंबर-2025, रू. 637257/- (छह लाख सैंतीस हजार दो सौ सत्तावन मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो इस प्रकार है: प्लॉट संख्या 20, खसरा संख्या 42/2/2, क्षेत्रफल 705 वर्ग फुट, पवैया विहार, वन कॉलोनी, गंज, ग्राम चावनी, तहसील और जिला सिहोर, मध्य प्रदेश 466115, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल: 705
श्रीमती हेमलता चौधरी श्री कृष्ण कुमार चौधरी (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10830934)	04-दिसंबर-2025, रु. 1412416.95/- (चौदह लाख बारह हजार चार सौ सोलह और पिनच्यानवे पैसे मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा: खसरा संख्या 191/1 (नया-191/2), मौजा-जिंदा, पी.एच.एन. 77, सर्किल सागर-2, सागर, मध्य प्रदेश 470002 से उत्पन्न भूमि का भूखंड क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकार: भूमिक्षेत्रफल, सुपरबिल्ट्अपक्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 1035
श्री प्रताप नारायण अमित जाटव जी जाटव श्रीमती दुर्गा बाई जाटव (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10128422)	04-दिसंबर-2025, रू. 471440/- (चार लाख सत्तर रुपये एक हजार चार एक सौ चालीस रुपये मात्र)	संपत्ति का पूरा हिस्सा: फ्लैट नंबर 10, बीएमसी हिनोटिया आलम, फ्लोर नंबर 0, 1, 1 बीएचके, ईडब्ल्यूएस ब्लॉक, हिनोटिया आलम गांव, भोपाल 462042 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: विक्रय योग्य क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 377.00, 377.00

यदि उक्त उधारकर्ता आईआईएफएल एचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत, पूरी तरह से उधारकताओं के जोखिम, लागत और परिणामों पर। अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: F249, द इनफिनिटी, प्रथम तल, एम.पी. नगर जोन II, तुलसी होटल के पास, पाल-462011 /आईआईएफएल गोल्ड लोन, मीनाक्षी स्क्वायर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, रिलैक्सो शोरूम के ऊपर, होशंगाबाद-461001 या कॉर्पोरेट कार्यालय: आईआईएफएल टॉवर, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV गुड़गांव, हरियाणा।

स्थान: भोपाल
दिनांक: 11.12.2025

एसडी/-
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी